

प्रेस नोट दिनांक- 07.05.2025

जनपद- चन्दौली

📌 जिलाधिकारी चन्दौली, श्री चन्द्र मोहन गर्ग व पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगहे द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु 03 आदतन, पेशेवर व मनबढ़ अपराधियों के विरुद्ध की गई जिला बदर की कार्यवाही।

चन्दौली:- जिलाधिकारी चन्दौली, श्री चन्द्र मोहन गर्ग व पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आदित्य लांगहे द्वारा जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को स्थापित रखने व अपराध नियंत्रण के लिये चलाए जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत चन्दौली पुलिस द्वारा सक्रिय अपराधियों एवं अराजकतत्वों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में विभिन्न अपराधिक क्रियाओं में संलिप्त अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये 03 आदतन अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गयी है। तथा इन अपराधियों को 06 माह के लिए जिले की भौगोलिक सीमाओं से निष्कासित किया गया है। अगर इसके बाद भी कोई जनपद चंदौली की सीमा में भटकता या सक्रिय दिखा तो उसके ऊपर सख्त एक्शन का पूरा प्लान पुलिस के पास तैयार रखा है। जिला बदर अभियुक्त पर पुलिस अपनी पैनी नजरें बनाए हुए है।

जिला बदर अपराधियों का आपराधिक इतिहास-

थाना अलीनगर-

1. चन्दन उर्फ राज पासवान पुत्र विवेकानन्द पासवान निवासी ग्राम अमोघपुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
1-मु0अ0सं0 454/2020 धारा 411, 413, 414, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना मुगलसराय
- 2-मु0अ0सं0 123/2020 धारा 379, 411 भादवि थाना कोतवाली, वाराणसी
- 3-मु0अ0सं0 144/2021 धारा 3(1) उ०प्र० गैंगस्टर एक्ट थाना मुगलसराय

2. हरिशचन्द्र उर्फ हरिचरन पुत्र प्यारे लाल निवासी ग्राम परशुरामपुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

- 1-मु0अ0सं0 34/2021 धारा 60 आबकारी अधिनयम व 420,467,468,471 भादवि थाना बबुरी।
- 2-मु0अ0सं0 16/2022 धारा 60(2) / 63 आबकारी अधि० व 272,420,467,468,471 भादवि थाना अलीनगर।
- 3-मु0अ0सं0 318/2022 धारा 3(1) उ०प्र० गैंगस्टर एक्ट थाना अलीनगर।

थाना धीना-

3. रमेश बिन्दु पुत्र राम किशन निवासी ग्राम मेढान थाना धीना जनपद चन्दौली
1-मु0अ0सं0 18/2019 धारा 3/5ए/8 गो०नि०अधि0 व 11 पशु क्रू०अधि० थाना धीना
- 2-मु0अ0सं0 19/2019 धारा 3/5ए/8 गो०नि०अधि० व 11 पशु क्रू०अधि० थाना धीना
- 3-मु0अ0सं0 29/2019 धारा 3 (1) उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप नि0 अधि0 थाना धीना।

(ऑपरेशन कन्विक्शन)

◆ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार-XI (अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय सं0-1) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 07 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

थाना मुगलसराय के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 16.04.2018 को धारा 147,148,149,307,34,504 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.निजाम चौधरी पुत्र मोहम्मद हुसैन निवासी ग्राम सतवड़ी थाना जोगिया उदय पुर जनपद सिद्धार्थ नगर के विरुद्ध अपराध संख्या- 112/2018 धारा 147,148,149,307,34,504 भादवि थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व श्री संजय कुमार त्रिपाठी (एडीजीसी) व थाना मुगलसराय के पैरोकार हे0का0 राजेश राय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-07.05.2025 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार-XI (अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय सं0-1) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त 1. निजाम चौधरी पुत्र मोहम्मद हुसैन निवासी ग्राम सतवड़ी थाना जोगिया जनपद सिद्धार्थ नगर को 07 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली

थाना सकलडीहा द्वारा एक टाटा पिकअप से 02 राशि गोवंश किया गया बरामद

पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक सदर, अनन्त चन्द्रशेखर एवं क्षेत्राधिकारी सकलडीहा, रघुराज के गहन पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में थाना सकलडीहा पुलिस द्वारा दिनांक 06.05.2025 को समय करीब 20.30 बजे मुखबिर की सूचना के आधार पर नोनार तुलसी आश्रम के पास वाहनों की सघन चेकिंग के दौरान चेकिंग कर पुलिस टीम से करीब 100 मीटर पहले एक पिकअप वाहन बिना नम्बर की खड़ी थी। मौजूदा पुलिस टीम द्वारा पिकअप की तलाशी ली गयी तो पिकअप से 02 राशि गोवंश बरामद किया गया।

बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-66/2024 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम बनाम वाहन चालक नाम पता अज्ञात पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण बरामदगी:-

- 1-02 राशि गोवंश जिन्दा
- 2-एक टाटा ACE गोल्ड माल वाहन बिना नम्बर

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1.उ0नि0 लक्ष्मीकान्त मिश्र कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली
- 2.का0 अरुण कुमार वर्मा कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली